

सिविल मिसेलेनियस

समाक्ष एम. एल. वर्मा, न्यायमूर्ति।

ओम प्रकाश जिंदल वगैरह-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ वगैरह-उत्तरदाता।

1974 की सिविल रिट संख्या 6577

17 जुलाई, 1975।

आयकर अधिनियम (63 of 1961)- धारा 132-आयकर नियम, 1962-नियम 112 और 112-एनिरीक्षण निदेशक या आयुक्त के साथ सूचना-छापे को अधिकृत करने से पहले ऐसे अधिकारी के विश्वास का मानक-धारा 132-अधिकृत अधिकारी की योजना जिसमें संदेह है कि तलाशी में पाई गई वस्तुएं अघोषित संपत्ति हैं- ऐसी वस्तुएं-क्या जब्त की जा सकती हैं- धारा 132 (3) का सहारा-क्या लिया जा सकता है- धारा 132 (3)-की अवधि के तहत लेखों का प्रतिधारण।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब निरीक्षण निदेशक या आयुक्त के कब्जे में सूचना के परिणामस्वरूप, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा अनुध्यात प्रकृति का कोई धन, आभूषण, आभूषण आदि है, तो वह उक्त उपधारा (1) में उल्लिखित आयकर अधिकारी सहित किसी भी अधिकारी को किसी भवन या स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जहां उसे संदेह करने का कारण है कि ऐसी अघोषित संपत्ति, जिसमें धन, सोना, आभूषण आदि शामिल हैं, उक्त तलाशी में पाए जाने पर रखी जाती है और उसी को जब्त कर लेता है और उसका एक नोट या सूची बना सकता है। "सूचना" का अर्थ होगा तथ्यों का कथन। यह निरीक्षण निदेशक या आयुक्त को लिखित रूप में या मौखिक रूप से प्रदान किया जा सकता है, हालांकि जब यह मौखिक रूप से किया जाता है, तो औचित्य की मांग होती है कि वह उसी के नोट दर्ज करे ताकि उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिल सके कि यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित धन, आभूषण आदि हैं, और आवश्यकता की स्थिति में उक्त निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सके। "विश्वास करने का कारण है" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि आवश्यक विश्वास के लिए आधार हैं। उक्त विश्वास जानकारी द्वारा जो बताया गया है उसकी सच्चाई के लिए मन की सहमति है। जबकि केवल संदेह पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन फिर एक आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति की सजा पर जोर नहीं दिया जा सकता है। विश्वास का मानक यह होना चाहिए कि साथ ही यह याद रखना होगा कि निरीक्षण निदेशक या आयुक्त अधिकारी हैं, अदालतें अपने विश्वास के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं। यह तभी होगा जब निरीक्षण निदेशक या आयुक्त का विश्वास जिन आधारों पर स्थापित किया गया है, वे अस्तित्व में नहीं हैं या अप्रासंगिक हैं या ऐसे आधार हैं जिन पर कोई भी उचित व्यक्ति उस विश्वास पर नहीं आ सकता है, कि निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा प्राधिकरण का वारंट जारी करने की शक्ति का प्रयोग बुरा होगा, लेकिन इससे कम अदालतें यह मानने के कारण में हस्तक्षेप नहीं करेंगी कि उनके द्वारा प्रामाणिक रूप से किया गया है। धारा 132 की धारा (1) के खंड (सी) के

तहत शक्ति का उद्देश्य किसी विशेष आभूषण, आभूषण या धन की खोज नहीं है, बल्कि आभूषण, आभूषण और धन के लिए है, जिन्हें अघोषित संपत्ति माना जाता है। प्राधिकरण का वारंट जारी करते समय निरीक्षण निदेशक या आयुक्त के लिए यह भविष्यवाणी करना या पहले से जानना भी संभव नहीं हो सकता है कि तलाशी में कौन से विशेष आभूषण, आभूषण या धन पाए जाएंगे और यदि पाए जाते हैं तो उनमें से कौन सी अघोषित संपत्ति होगी। इसलिए, प्राधिकरण का वारंट एक सामान्य खोज का निर्देश देता है। जब तलाशी ली जाती है और आभूषण, आभूषण या धन, यदि उसमें पाया जाता है, तो जांच पर, अघोषित संपत्ति पाई जाती है, तो उसे धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत जब्त किया जा सकता है। उपधारा (1) के खंड (i) (iii) और (v) में और धारा 132 की उपधारा (3) में आने वाला "ऐसा" शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि आभूषण, आभूषण या धन आदि। अभिगृहीत किया जाना धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे अघोषित संपत्ति पाई जाती हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 132 की योजना में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दो अधिकारियों द्वारा दो अलग-अलग चरणों में दिमाग का प्रयोग किया जाना चाहिए, पहला, निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी करते समय यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास कोई आभूषण, आभूषण या धन आदि है, जिसे अघोषित संपत्ति माना जाता है, और दूसरा, अधिकृत अधिकारी द्वारा, जब तलाशी के दौरान कोई विशेष आभूषण, आभूषण या धन पाया जाता है, तो यह देखने के लिए कि उसे अघोषित संपत्ति माना जा सकता है।

(पैरा 8).

अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अधिकृत अधिकारी को तलाशी के दौरान पाए गए विशेष आभूषणों, आभूषणों आदि को जब्त करने से पहले एक राय बनानी होगी, कि उक्त विशेष आभूषण आदि। यदि वह अघोषित संपत्ति है, तो उसे अनिवार्य रूप से मामले की जांच करनी होगी। धारा 132 की उपधारा (4) में निहित उपबंध अधिकृत अधिकारी को तलाशी के दौरान उस व्यक्ति की जांच करने का अधिकार देते हैं जो उक्त आभूषण आदि के कब्जे या नियंत्रण में पाया गया है, इस दृष्टिकोण को आश्वासन देते हैं कि अधिकृत अधिकारी के पास वह शक्ति है और वह इस बारे में पूछताछ कर सकता है कि क्या विशेष आभूषण आदि हैं। तलाशी के दौरान पाई गई संपत्ति अज्ञात है। उक्त जाँच पूर्ण जाँच या प्रकृति की नहीं हो सकती है जैसा कि धारा 132 की उप-धारा (5) द्वारा अनुध्यात किया गया है। यह किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में संक्षिप्त, मौखिक या अन्यथा अनुमत हो सकता है। उक्त जांच या जांच का परिणाम यह हो सकता है कि (क) अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी में पाए गए विशेष आभूषण आदि अघोषित संपत्ति हैं, (ख) यह उचित रूप से विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि वे अघोषित संपत्ति हैं, या (ग) उक्त आभूषण या आभूषण अघोषित संपत्ति होने के संबंध में उसे संदेह है। यह केवल (क) के तहत उसकी संतुष्टि की स्थिति में है कि अधिकृत अधिकारी उपरोक्त आभूषण, आभूषण, धन आदि को जब्त कर लेगा। धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन। (ख) या (ग) में उल्लिखित मामलों में वह उक्त आभूषण, आभूषण या धन को जब्त करने के लिए सक्षम या सशक्त नहीं होगा और वह उन आभूषणों के संबंध में अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (3) के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता है। धारा 132 की उपधारा (3) में आने वाले 'व्यवहार्य' शब्द का विस्तार ऐसे मामले में नहीं किया जा सकता है जहां अधिकृत अधिकारी को आभूषण आदि मिलने पर। तलाशी लेने पर संदेह है या यह निश्चित नहीं है कि यह मानने के कारण हैं कि वे अघोषित संपत्ति थीं। यह तभी होता है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे आभूषण अघोषित संपत्ति हैं, लेकिन उनकी प्रकृति या स्थान के कारण या किसी अन्य आधार पर उनकी

जब्ती अब्यावहारिक है, जिससे उक्त आभूषणों की जब्ती आदि हो जाती है। यह असंभव या असुरक्षित है कि अधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों का सहारा ले सकता है।

(पैरा 8 और 13)

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम या आयकर नियम, 1962 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अधिकृत अधिकारी तलाशी पर पाई गई संपत्ति को अपनी मुहर के नीचे रख सकता है और धारा 132 की उपधारा (3) का सहारा लेकर उसे अनिश्चित काल के लिए रख सकता है। वह धारा 132 की उपधारा (3) के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क कर सकता है, यदि उसमें निहित प्रावधानों द्वारा इसकी अनुमति दी गई है और उसे उचित अवधि के लिए रख सकता है। जब नियमों के नियम 112-क के उपबंध आयकर अधिकारी से 15 दिनों के भीतर अपेक्षित सूचना जारी करने की अपेक्षा करते हैं और धारा 132 की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंध आयकर अधिकारी से आभूषणों आदि की जब्ती की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवश्यक आदेश अभिलिखित करने की अपेक्षा करते हैं। यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि उक्त उचित अवधि जिसके दौरान आभूषण आदि थे। इसे रखा जा सकता है, सामान्य रूप से उसी की कुर्की की तारीख से 90 दिनों से अधिक नहीं होगा। आभूषणों आदि की संलग्नक। धारा 132 की धारा (3) के तहत अनिवार्य रूप से एक नागरिक को उसी के उपयोग से वंचित कर देगा जैसा वह चाहता है और इस प्रकार यह उक्त आभूषणों के स्वतंत्र उपयोग की उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अतः यह वांछनीय है कि प्राधिकृत अधिकारी किसी न किसी रूप में मामले का निर्णय करे और धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा की गई कुर्की को जल्द से जल्द हटा दे।

(पैरा 13)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि:-

"4ग) 6 जून, 1974 और 12 जुलाई, 1974 को हिसार स्थित जिंदल हाउस के नाम से ज्ञात याचिकाकर्ताओं के आवासीय परिसरों पर की गई तलाशी और जब्ती से संबंधित या उससे संबंधित अपने कब्जे में संपूर्ण सामग्री और अभिलेख को इस माननीय न्यायालय को इसकी जांच और जांच के लिए प्रेषित करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा उत्तरदाताओं को आदेश दिया जाए।

(ख) यहाँ प्रत्यर्थियों से यह भी आह्वान किया जाता है कि वे इस माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत प्राधिकरणों को जारी करने और याचिकाकर्ताओं के परिसरों पर उसके अनुसरण में की गई जब्ती के अपने आक्षेपित कार्यों की कानूनी अधिकारिता दिखाएं;

(ग) परमादेश और/या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निदेश की प्रकृति का एक रिट, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, प्रत्यर्थियों को जारी किया जाए, जिसमें दोनों अवसरों पर प्राधिकरण के वारंट जारी किए जाने, तलाशी और जब्ती की गई और उसके अनुसरण में की गई और जब्त की गई

संपत्तियों को अवैध, गैरकानूनी, अमान्य, शून्य, निष्क्रिय और कानून की नजर में शून्य होने के लिए अभिगृहीत किया गया है;

(घ) प्रत्यर्थियों को आदेश की एक रिट और/या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो उन्हें याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा जब्त किए गए आभूषणों और आभूषणों आदि की सभी वस्तुओं को वापस करने और पुनर्स्थापित करने का आदेश देता है, रिट याचिका के अनुलग्नक पी-4, पी-5, पी-6, पी-1 और पी-8 द्वारा;

(ङ) एक उचित अंतरिम आदेश पारित करके, उत्तरदाता संख्या 2 से 6 को आदेश दिया जाए और आदेश दिया जाए कि रिट याचिका के अंतिम निर्णय के लंबित रहने के दौरान भी जब्त किए गए आभूषणों और आभूषणों की सभी वस्तुओं को पुनर्स्थापित किया जाए और याचिकाकर्ताओं को वापस किया जाए क्योंकि इसी तरह विवाह के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक है जिसके बारे में इस रिट याचिका के पैराग्राफ 10 में उल्लेख किया गया है;

(च) याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य अंतरिम और/या अंतिम राहत दी जा सकती है, जो उचित प्रतीत हो।

(छ) प्रतिवादियों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं को व्यय भी अधिनिर्णीत किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बी. एस. गुप्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता डी. एन अवस्थी, अधिवक्ता बी. के. झिंगन के साथ

फैसला

वर्मा, न्यायमूर्ति:-

- (1) इस रिट याचिका की ओर ले जाने वाली प्रासंगिक और याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित परिस्थितियों को संक्षेप में निम्नानुसार कहा जा सकता है:

आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 132 के अधीन निरीक्षण निदेशक (प्रत्यर्थी 2) द्वारा जारी प्राधिकरण के अनुसरण में श्री राकेश रतन, आयकर अधिकारी (प्रत्यर्थी 3) और श्री कुलवंत सिंह (प्रत्यर्थी 4) ने फिर से एक आयकर अधिकारी (जिसे इसके बाद अधिकृत अधिकारी कहा गया है) ने 6 जून, 1974 को दिल्ली रोड, मॉडल टाउन, हिसार में स्थित जिंदल हाउस (जिसे इसके बाद परिसर कहा जाता है) पर छापा मारा और तलाशी ली। यह परिसर याचिकाकर्ता नंबर 1 श्री ओम प्रकाश जिंदल की संपत्ति है। वह अपनी पत्नी श्रीमती के साथ। सावित्री देवी परिसर की निचली मंजिल पर रह रही हैं, जबकि उनके बेटे पृथ्वी राज जिंदल अपनी पत्नी श्रीमती सचिता देवी के साथ ऊपरी मंजिल पर रह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं और उनकी पत्नियों में से प्रत्येक आयकर निर्धारित हैं। उपरोक्त तलाशी के दौरान, श्री ओम प्रकाश जिंदल के बिस्तर-सह-दुकान के कमरे में आभूषणों और आभूषणों की 32 वस्तुएं मिलीं। एक सूची, जिसकी प्रति अनुलग्नक डी-एल है, उसी के लिए तैयार की गई थी। श्री ओम प्रकाश जिंदल द्वारा कब्जा किए गए भूतल के एक अन्य हिस्से से गहने और आभूषणों की सत्रह वस्तुएं (अनुलग्नक डी-III में दिखाई गई हैं, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए एक अलग पात्र में निहित हैं) बरामद की गईं। याचिकाकर्ता श्री ओम प्रकाश जिंदल के कब्जे वाले परिसर के हिस्से से आभूषणों और आभूषणों की पांच अन्य वस्तुएं और 108 रुपये मूल्य के करेंसी नोट और एक-एक रुपये के 18 चांदी के सिक्के (अनुलग्नक डी-IV में दिखाए गए हैं) और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक अन्य ग्रहण योग्य में निहित हैं) भी बरामद किए गए। श्री पृथ्वी

राज जिंदल के शयनकक्ष से आभूषणों की चार वस्तुएँ (अनुलग्नक डी-आईएल में दर्शाई गई हैं) मिलीं। अधिकृत अधिकारियों ने इन सभी आभूषणों और आभूषणों आदि को दो डिब्बों में रखा, उन्हें सील कर दिया और फिर उक्त डिब्बों को परिसर में पड़ी गोदरेज अलमीरा में रख दिया। इसे (गोदरेज अलमीरा) भी बंद कर सील कर दिया गया था। उक्त गोदरेज अलमीरा की चाबियाँ और साथ ही उक्त दो डिब्बों की चाबियाँ उनके द्वारा ले ली गई, और उन्होंने श्री ओम प्रकाश जिंदल को उनकी पूर्व अनुमति के बिना उक्त आभूषणों, आभूषणों आदि को हटाने, उनके साथ भाग लेने या अन्यथा सौदा नहीं करने का निर्देश देते हुए अधिनियम की धारा 132 (3) के तहत आदेश (अनुलग्नक पी-10 की प्रतिलिपि) दिया। श्री ओम प्रकाश जिंदल (अनुलग्नक पी-9 की प्रति) का बयान भी उनके द्वारा अधिनियम की धारा 132 (4) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था कि अनुलग्नक डी-एल के 32 आभूषण उनकी पत्नी के थे और अनुलग्नक डी-॥ के चार आभूषण उनके बेटे और बहू के थे और अनुलग्नक डी-॥ के आभूषणों की 17 वस्तुएँ श्री बजरंग लाई की थीं, जिन्होंने इसे सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके साथ रखा था, और 5 आभूषण, जी. सी. नोट और चांदी के कॉइन-1 अनुलग्नक डी-IV के चुन्नी लाई के थे, जो बजरंग लाई के भाई हैं और उन्होंने इसे सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके साथ रखा था। श्री एस. तलवार (प्रत्यर्थी 5) फिर से एक अधिकृत अधिकारी, और श्री रतन लाई (प्रत्यर्थी 6) कई अन्य अधिकारियों और श्री बी. के. मल्होत्रा, अनुमोदित सरकारी मूल्यांकनकर्ता के साथ निरीक्षण निदेशक द्वारा जारी प्राधिकरण के वारंट के साथ 12 जुलाई, 1974 को परिसर में पहुंचे। श्री ओम प्रकाश जिंदल उस समय बाहर थे और श्री पृथ्वी राज जिंदल परिसर में मौजूद थे। श्री एस. तलवार के निर्देश पर गोदरेज अलमीरा की मुहर तोड़ दी गई और उसे खोल दिया गया और दो सीलबंद डिब्बों को बाहर निकाल लिया गया। उक्त डिब्बों की मुहरें तोड़ दी गईं और ताले खोल दिए गए। उसमें निहित आभूषणों और आभूषणों का मूल्यांकन श्री बी. के. मल्होत्रा द्वारा किया गया था और उसी का मूल्यांकन तैयार करने के बाद (अनुलग्नक पी 11 के माध्यम से) उक्त आभूषणों और आभूषणों को फिर से दो स्टील के डिब्बों में डाल दिया गया था जो बंद थे और फिर उन्हें परिसर में लकड़ी की एक अलमारी में रखा गया था और उक्त अलमारी को सील कर दिया गया था और चाबियों को श्री एस. तलवार द्वारा ले जाया गया था। श्री तलवार ने श्री पृथ्वी राज जिंदल को अधिनियम की धारा 132 (3) के तहत एक आदेश भी दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि उपरोक्त आभूषणों को उनकी अनुमति के बिना नहीं हटाया जाएगा या उनके साथ विभाजित नहीं किया जाएगा या उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा।

- (2) इन सब से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रतिवादियों को आदेश दिया गया था कि वे आभूषणों, आभूषणों आदि की सभी उपर्युक्त वस्तुओं को उन्हें वापस कर दें। उन्होंने प्रत्यर्थी 1 द्वारा जारी प्राधिकरण को अवैध बताते हुए महाभियोग चलाया, जिसमें कहा गया कि उसके पास न तो कोई विश्वसनीय जानकारी थी और न ही उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि श्री ओम प्रकाश जिंदल याचिकाकर्ता के पास अघोषित आभूषण या आभूषण थे, और उन्होंने (प्रत्यर्थी 1) राजनीतिक प्रभाव सहित बाहरी विचारों के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशों के तहत परिसर की तलाशी लेने और आभूषण आदि को जब्त करने के लिए प्राधिकरण के वारंट जारी किए थे। उन्होंने 6 जून, 1974 को गोदरेज अलमीरा में आभूषणों, आभूषणों आदि को दो डिब्बों में रखने और उन्हें ताले और मुहरों के साथ रखने और फिर उन्हें दो डिब्बों में रखने और परिसर में लगी लकड़ी की अलमीरा में ताले लगाने और 12 जुलाई, 1974 को उसी अलमीरा को सील करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के कार्यों को जब्ती के रूप में माना और इसे अवैध के रूप में चुनौती दी, जहां तक यह श्री पृथ्वी राज जिंदल के शयनकक्ष से आभूषणों की चार वस्तुओं (अनुलग्नक डी-॥) की बरामदगी से संबंधित है, इस आधार पर कि उनका नाम

प्राधिकरण के वारंट में नहीं है। उन्होंने इस आधार पर अन्य आभूषणों, आभूषणों आदि की जब्ती के समान अधिकार प्राप्त अधिकारियों के कृत्यों पर महाभियोग चलाया कि उपरोक्त जब्ती के 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं या उनमें से किसी एक को आयकर नियम, 1962 (जिसे इसके बाद नियम कहा गया है) के नियम 112 ए द्वारा परिकल्पित न तो नोटिस दिया गया था, न ही अधिनियम की धारा 132 (5) द्वारा विचार की गई कोई जांच शुरू की गई थी और जब्ती के 90 दिनों के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। उन्होंने अधिनियम की धारा 132 (3) के तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए आदेशों को इस आधार पर अवैध बताया कि वे बाहरी विचारों से प्रेरित थे और दुर्भावनापूर्ण थे।

- (3) लिखित बयान, उनके हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थित, निरीक्षण (जांच) की सहायक निदेशक श्रीमती विजय मोहन राम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भौतिक तथ्यों को स्वीकार किया गया। हालाँकि, उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया कि प्राधिकरण निरीक्षण निदेशक द्वारा जारी किया गया था या अधिनियम की धारा 132 (3) के तहत दर्ज आदेश अधिकृत अधिकारियों द्वारा बाहरी विचारों के लिए किए गए थे या वे दुर्भावनापूर्ण थे। यह दलील दी गई थी कि अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के अनुसार कोई जब्ती नहीं की गई थी और इसलिए अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत नियम 112 ए के तहत नोटिस जारी करने या जांच की संस्था का प्रश्न या उसके तहत कोई आदेश पारित करने का प्रश्न नहीं उठा था और निरीक्षण निदेशक के पास परिसर की तलाशी लेने और आभूषणों आदि को जब्त करने के लिए प्राधिकरण जारी करने की गारंटी देने वाली विश्वसनीय जानकारी थी, और प्राधिकरण का एक वारंट था और उसी के अनुसरण में 6 जून, 1974 को परिसर की तलाशी ली गई थी और श्री एस. ताई वार ने 12 जुलाई, 1974 को उसी का दौरा किया था। अधिनियम की धारा 132 (3) के अधीन पारित आदेशों को वापस नहीं लिया जा सका था और न ही आभूषणों, आभूषणों आदि की जब्ती की गई थी क्योंकि श्री ओम प्रकाश जिंदल याचिकाकर्ता ने अपने इस कथन की पुष्टि करने में सहयोग नहीं किया था कि अनुलग्नक डी-III के आभूषणों और आभूषणों की 17 वस्तुएं बजरंग लाई की थीं और अनुलग्नक डी-IV के 5 आभूषण, जीसी नोट और चांदी के सिक्के चुनी लाई के थे और परिसर (जिंदल हाउस) एक इकाई थी और याचिकाकर्ता पिता और पुत्र होने के नाते एक परिवार का गठन करते थे और उसमें रह रहे थे।
- (4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री बी. एस. गुप्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों के चार आयाम हैं और ये हैं:
- (1) कि निरीक्षण निदेशक द्वारा परिसर की तलाशी लेने और आभूषणों आदि को जब्त करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के पक्ष में जारी प्राधिकरण अवैध था क्योंकि निरीक्षण निदेशक के पास कोई जानकारी नहीं थी, जो बहुत कम विश्वसनीय थी, जिसके आधार पर वह यह विश्वास करने का कारण हो सकता था कि श्री ओम प्रकाश जिंदल याचिकाकर्ता के पास आभूषण और आभूषण थे, जो अघोषित संपत्ति थे।
- (2) कि वास्तव में आभूषणों, आभूषणों आदि की जब्ती की गई थी और चूंकि नियमों के नियम 112 ए के तहत 15 दिनों की कोई सूचना जारी नहीं की गई थी, न ही अधिनियम की धारा 132 (5) द्वारा परिकल्पित जांच की गई थी और जब्ती की तारीख से 90 दिनों के भीतर इसके तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा आभूषणों, आभूषणों आदि का प्रतिधारण अवैध हो गया था।
- (3) यदि गोदरेज अलमीरा में आभूषणों और आभूषणों को पहली बार 6 जून, 1974 को और दूसरी बार 12 जुलाई, 1974 को परिसर में लगी लकड़ी की अलमीरा में सील करने में अधिकृत अधिकारियों के कार्यों को जब्ती नहीं माना जाता है, तो भी उनके उपरोक्त कार्य अवैध होंगे, जो बाहरी और गैरकानूनी विचारों से प्रेरित थे।

(4) कि श्री पृथ्वी राज जिंदल के कब्जे वाले परिसर के हिस्से की तलाशी अवैध थी और इसलिए, वहां से अनुलग्नक डी-11 के चार आभूषणों की बरामदगी अनुचित थी क्योंकि प्राधिकरण के वारंट में श्री पृथ्वी राज जिंदल के नाम का उल्लेख नहीं था।

- (5) प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी. एन. अवस्थी ने श्री बी. एस. गुप्ता की उक्त दलीलों का विरोध करते हुए इसके विपरीत प्रस्तुतियां दीं और कहा कि निरीक्षण निदेशक द्वारा उनके साथ विश्वसनीय जानकारी के आधार पर प्राधिकरण का वारंट विधिवत जारी किया गया था, कि अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा विचार किए गए आभूषण, आभूषण आदि की कोई जब्ती नहीं हुई थी और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (5) के प्रावधान लागू नहीं हुए थे और इसके तहत कोई आदेश दर्ज नहीं किया जा सकता था और नियमों के नियम 112-ए के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था।
- (6) पक्षकारों के लिए विद्वत वकील द्वारा उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए अधिनियम की धारा 132 में निहित मामले से संबंधित प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं: - 132। (1) जहां निरीक्षण निदेशक या आयुक्त, अपने कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण है कि -

(क) * * * * *

(ख) * * * * *

(ग) किसी व्यक्ति के पास कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु है और ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसका खुलासा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या इस अधिनियम (इसके बाद इस धारा में अघोषित आय या संपत्ति के रूप में संदर्भित) के प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है।

(i) किसी भी इमारत या स्थान में प्रवेश करें और तलाशी लें जहां उसे संदेह करने का कारण है कि ऐसा धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु रखी गई है;

(ii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए किसी भी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अल्मीरा या अन्य पात्र का ताला तोड़ें (i) जहां इसकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं,

(iii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी धन, सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ को जब्त करें,

(iv) * * * * * ,

(v) ऐसे किसी धन, सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ का नोट या सूची बनाएं।

(2) * * * * *

(3) प्राधिकृत अधिकारी, जहां ऐसे धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां स्वामी या उस व्यक्ति को, जो इसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है,

आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इसे नहीं हटाएगा, उसके साथ भाग नहीं लेगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा और ऐसा अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है जो इस उप-धारा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(4) अधिकृत अधिकारी, तलाशी या जब्ती के दौरान, शपथ पर किसी ऐसे व्यक्ति की जांच कर सकता है जो किसी धन, सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु के कब्जे या नियंत्रण में पाया जाता है और ऐसी जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी बयान का उपयोग भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

(5) जहां कोई धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु (इसके पश्चात् इस धारा और धारा 132-क में संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की जाती है, वहां आय-कर अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने और ऐसी जांच करने के लिए, जो विहित की जाए, अभिगृहीत किए जाने के नब्बे दिनों के भीतर, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ: -

(i) अघोषित आय (अघोषित संपत्ति से होने वाली आय सहित) का उसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने सर्वोत्तम निर्णय के लिए संक्षिप्त तरीके से आकलन करना;

(ii) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार प्राक्कलित आय पर कर की रकम की गणना करना;

(iii) उस रकम को विनिर्दिष्ट करना जो इस अधिनियम के अधीन किसी विद्यमान दायित्व को और धारा 230-क की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी एक या अधिक को, जिसके संबंध में ऐसा व्यक्ति व्यतिक्रम है या व्यतिक्रम समझा जाता है, संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित होगी और ऐसी आस्तियों या उसके भाग को, जो उसकी राय में खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट राशियों के समुच्चय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है, अपनी अभिरक्षा में रखेगा और संपत्ति के शेष भाग, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से वे अभिगृहीत किए गए थे, तत्काल जारी करेगा:

*_*_*_*

(6) *_*_*_*_*_*

(7) यदि आय-कर अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिगृहीत आस्तियां या उसका कोई भाग, ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से धारित किया गया था, तो आय-कर अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही कर सकता है और इस धारा के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(8) ऊपर पुनरुत्पादित उपबंधों से यह स्पष्ट है कि जब निरीक्षण निदेशक या आयुक्त के कब्जे में सूचना के परिणामस्वरूप, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा पर्यालोचित प्रकृति का कोई धन, आभूषण, आभूषण आदि है, तो वह उक्त उपधारा (1) में उल्लिखित आयकर अधिकारी सहित किसी भी अधिकारी को किसी भवन या स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, जहां उसे संदेह करने का कारण है कि ऐसी अघोषित संपत्ति, जिसमें धन, सोना, आभूषण आदि शामिल हैं, रखी गई है और उक्त तलाशी में पाए जाने पर उसी को जब्त कर सकता है

और उसका एक नोट या सूची बना सकता है। "सूचना" का अर्थ होगा तथ्यों का कथन। यह निरीक्षण निदेशक या आयुक्त को लिखित रूप में या मौखिक रूप से प्रदान किया जा सकता है, हालांकि जब यह मौखिक रूप से किया जाता है, तो औचित्य की मांग होती है कि वह उसी के नोट दर्ज करे ताकि उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिल सके कि यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति के कब्जे में अघोषित धन, आभूषण, आदि हैं, और आवश्यकता की स्थिति में उक्त निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। "विश्वास करने का कारण है" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा कि आवश्यक विश्वास के लिए आधार हैं। उक्त विश्वास जानकारी द्वारा जो बताया गया है उसकी सच्चाई के लिए मन की सहमति है। जबकि केवल संदेह पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन फिर एक अपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति की सजा पर जोर नहीं दिया जा सकता है। विश्वास का मानक एक समझदार व्यक्ति का होना चाहिए। लेकिन साथ ही यह याद रखना होगा कि यह निरीक्षण निदेशक या आयुक्त का विश्वास है जो मायने रखता है और अदालतें उनके विश्वास के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं। यह तभी होगा जब निरीक्षण निदेशक या आयुक्त का विश्वास जिन आधारों पर स्थापित किया गया है, वे अस्तित्व में नहीं हैं या अप्रासंगिक हैं या ऐसे आधार हैं जिन पर कोई उचित व्यक्ति उस विश्वास पर नहीं आ सकता है, कि निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा प्राधिकरण का वारंट जारी करने की शक्ति का प्रयोग बुरा होगा, लेकिन इससे कम अदालतें यह मानने के कारण में हस्तक्षेप नहीं करेंगी कि उनके (निरीक्षण निदेशक या आयुक्त) द्वारा प्रामाणिक रूप से निर्णय लिया गया है। धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत शक्ति का उद्देश्य किसी विशेष आभूषण, आभूषण या धन की खोज करना नहीं है, बल्कि आभूषण, आभूषण और धन की खोज करना है, जिन्हें अघोषित संपत्ति माना जाता है। प्राधिकरण का वारंट जारी करते समय निरीक्षण निदेशक या आयुक्त के लिए यह भविष्यवाणी करना या पहले से जानना भी संभव नहीं हो सकता है कि तलाशी में कौन से विशेष आभूषण, आभूषण या धन पाए जाएंगे और यदि पाए जाते हैं तो उनमें से कौन सा अघोषित संपत्ति होगी। इसलिए, प्राधिकरण का वारंट एक सामान्य खोज का निर्देश देता है। जब तलाशी ली जाती है और आभूषण, आभूषण या धन, यदि उसमें पाया जाता है, तो जांच पर, अघोषित संपत्ति पाई जाती है, तो उसे धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत जब्त किया जा सकता है। उपधारा (1) के खंड (i) (iii) और (v) में और धारा 132 की उपधारा (3) में आने वाला "ऐसा" शब्द महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि जब्त किए जाने वाले आभूषण, आभूषण या धन आदि धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे अघोषित संपत्ति पाई जाती हैं। इसलिए, जैसा कि मैं समझता हूं, अधिनियम की धारा 132 की योजना में कहा गया है कि दो अलग-अलग चरणों में दो अधिकारियों द्वारा दिमाग का उपयोग किया जाना चाहिए, पहला, निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी करते समय यह पता लगाने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास कोई आभूषण, आभूषण या धन आदि है, जिसे अघोषित संपत्ति माना जाता है, और दूसरा, अधिकृत अधिकारी द्वारा, जब तलाशी के दौरान कोई विशेष आभूषण, आभूषण या धन पाया जाता है, यह देखने के लिए कि उसे अघोषित संपत्ति माना जा सकता है। इसी तरह का विचार बलवंत सिंह और अन्य बनाम आर. डी. शाह, निरीक्षण निदेशक, आयकर में व्यक्त किया गया था।

चूंकि अधिकृत अधिकारी को तलाशी के दौरान पाए गए विशेष आभूषणों, आभूषणों आदि को जब्त करने से पहले एक राय बनानी होती है, कि उक्त विशेष आभूषण आदि। यदि वह अघोषित संपत्ति है, तो उसे अनिवार्य रूप से मामले की जांच करनी होगी। धारा 132 की उपधारा (4) में निहित उपबंध, जो अधिकृत अधिकारी को तलाशी के दौरान उस व्यक्ति की जांच करने का अधिकार देते हैं, जो उक्त आभूषणों आदि के कब्जे या नियंत्रण में पाया गया है, इस दृष्टिकोण का आश्वासन देते हैं कि अधिकृत अधिकारी के पास वह शक्ति है और

वह इस बारे में पूछताछ कर सकता है कि क्या विशेष आभूषण आदि हैं। तलाशी के दौरान पाई गई संपत्ति अज्ञात है। उक्त जाँच पूर्ण जाँच या उस प्रकार की नहीं हो सकती है जैसा कि धारा 132 की उपधारा (5) द्वारा अनुध्यात किया गया है। यह किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में संक्षिप्त, मौखिक या अन्यथा अनुमत हो सकता है। उक्त जांच या जांच का परिणाम यह हो सकता है कि (क) अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी में पाए गए विशेष आभूषण आदि अघोषित संपत्ति हैं, (ख) यह उचित रूप से विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि वे अघोषित संपत्ति हैं, या (ग) उक्त आभूषण या आभूषण अघोषित संपत्ति होने के संबंध में उसे संदेह है। मेरा विचार है कि केवल (क) के अधीन उसकी संतुष्टि की दशा में ही प्राधिकृत अधिकारी धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन पूर्वोक्त आभूषण, आभूषण, धन आदि को अभिगृहीत करेगा। (ख) या (ग) में उल्लिखित मामलों में मुझे नहीं लगता कि वह (प्राधिकृत अधिकारी) उक्त आभूषणों, आभूषणों या धन को जब्त करने के लिए सक्षम या सशक्त होगा और यह भी संदेह है कि वह उन आभूषणों के संबंध में अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (3) के तहत कार्रवाई कर सकता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य 'अभिग्रहण' के समान नहीं है जैसा कि धारा 132 की उपधारा (1) द्वारा अनुध्यात किया गया है। बल्कि, "जहां उपधारा (3) में किसी ऐसे धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है, वहां यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो कुछ भी किया जाता है या किया जाता है, उसे उपधारा (1) के तहत" अभिग्रहण "के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए, उपधारा (5) में निहित प्रावधान ऐसे मामले की ओर आकर्षित नहीं होंगे। हालांकि "व्यावहारिक" शब्द के कई महत्व हैं, फिर भी इसका अर्थ काफी हद तक संदर्भ पर निर्भर करता है। आम तौर पर, इसका अर्थ है जो अभ्यास या प्रदर्शन किया जा सकता है, व्यवहार में लाने में सक्षम है, किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है। जैसा कि पहले इंगित किया गया है, उपधारा (3) में प्रकट होने वाला "ऐसा" शब्द धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संदर्भित करता है। इसलिए, संदर्भ में पढ़ने पर "व्यवहार्य" शब्द उन आभूषणों आदि से संबंधित होगा जो तलाशी में पाए जाते हैं, जिन्हें उचित रूप से अघोषित संपत्ति माना जा सकता है। इसलिए, मेरे विचार में, यह केवल तभी होता है जब प्रकृति या विशेष आभूषणों का स्थान आदि। तलाशी पर पाया गया, जिसे यथोचित रूप से अघोषित संपत्ति माना जाता है, इसकी अनुमति नहीं देता है, या किसी दिए गए मामले की परिस्थितियां उसी की तत्काल जब्ती की अनुमति नहीं देती हैं, कि उपधारा (3) के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है लेकिन, जब अधिकृत अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है या उसे यह विश्वास करने में संदेह होता है कि तलाशी पर पाए गए विशेष आभूषण अघोषित संपत्ति हैं, तो वह मेरी राय में, धारा 132 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों का सहारा नहीं ले सकता है।

(9) जब पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों की ऊपर चर्चा की गई कानून की पृष्ठभूमि में जांच की जाती है। मुझे लगता है कि श्री बी. एस. गुप्ता की प्रस्तुतियाँ, जो संख्या (1) (2) और (4) में बताई गई हैं, अच्छी तरह से आधारित नहीं हैं। रिट याचिका के पैरा 12, 13 और 14 में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अभिकथन, कि निरीक्षण निदेशक के पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो सकता है कि श्री ओम प्रकाश जिंदल याचिकाकर्ता के पास अघोषित आभूषण, आभूषण आदि थे कि उन्होंने मामले में अपनी आपत्ति लागू नहीं की और प्राधिकरण का वारंट जारी करते समय कारण दर्ज नहीं किए और उन्होंने राजनीतिक प्रभाव सहित बाहरी विचारों के लिए तलाशी आदि के लिए प्राधिकरण जारी किया, लिखित बयान में विरोधाभासी थे, जिसे निरीक्षण के सहायक निदेशक द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया गया था। श्री बी. एस. गुप्ता के कहने पर, मैंने श्री डी. एन. अवस्थी को वह सूचना युक्त

अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसके आधार पर निरीक्षण निदेशक ने प्राधिकरण का वारंट जारी किया था। श्री अवस्थी ने तुरंत उक्त अभिलेख मुझे उपलब्ध करा दिया। मैंने इसे बारीकी से देखा और देखा कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निरीक्षण निदेशक को दी गई जानकारी यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त थी कि श्री ओम प्रकाश जिंदल के पास धन, सोना-चांदी, आभूषण आदि थे जो अघोषित संपत्ति थे। श्री बी. एस. गुप्ता से पूछताछ करने पर, मैंने उन्हें उन मामलों के बारे में सूचित किया जिनका खुलासा किया जा सकता था, जो जानकारी में निहित थे, जिनके आधार पर प्राधिकरण का वारंट जारी किया गया था। उक्त अभिलेख को देखने के बाद, मुझे संतोष हुआ कि निरीक्षण निदेशक के पास ऐसी जानकारी थी जो किसी भी उचित व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकती थी कि अधिनियम की धारा 132 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। श्री अवस्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर कुछ भी नहीं था, और इस मामले के अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दिखा सके कि निरीक्षण निदेशक प्राधिकरण का वारंट जारी करने में किसी संपार्श्विक या बाहरी मामले से प्रभावित था। उन्होंने प्राधिकरण का वारंट जारी करने के कारणों को विधिवत दर्ज किया था। उक्त स्थिति पर, मुझे उपरोक्त पैरा 5 के अधीन नंबर 1 पर उल्लिखित श्री गुप्ता के विवाद में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

(10) यह सच है कि अधिकृत अधिकारियों ने आभूषणों, आभूषणों, मुद्रा नोटों और अनुलग्नक डी 1, डी 2, डी 3 और डी 4 के चांदी के सिक्कों को दो डिब्बों में रखा, उन्हें सील कर दिया और उन पर मुहरों के साथ गोदरेज अलमीरा में डाल दिया और 6 जून, 1974 को उक्त गोदरेज अलमीरा को सील कर दिया और डिब्बों और गोदरेज अलमीरा की चाबियां ले गए। उक्त आभूषणों, आभूषणों, धन, जी. सी. नोटों और सिक्कों को फिर से मुहर वाले दो डिब्बों में रखा गया और 12 जुलाई, 1974 को परिसर में एक लकड़ी की अलमारी में रखा गया। उक्त लकड़ी की अलमारी को भी बंद कर सील कर दिया गया था और श्री एस तलवार द्वारा चाबियाँ ले ली गई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकृत अधिकारियों के पूर्वोक्त कृत्यों का प्रभाव याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त आभूषणों, आभूषणों, धन आदि के साथ व्यवहार करने से अक्षम करने का था, जो वे चाहते थे, लेकिन साथ ही, यह धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा विचार किए गए "जब्ती" के बराबर नहीं हो सकता है। नियम 112 के उपनियम (10) (11) और (12) में अधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी में पाए गए आभूषणों, आभूषणों आदि को जब्त करने के बाद किए जाने वाले कार्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वह अघोषित संपत्ति मानता है। हाथ में मामले में अधिकृत अधिकारियों ने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया क्योंकि वे तलाशी लेने पर, उन बक्से को जमा नहीं करते थे जिनमें गहने रखे गए थे और सील कर दिए गए थे, संरक्षक के साथ, जो एक आयकर अधिकारी या उससे ऊपर के पद का हो सकता है। अधिकृत अधिकारियों द्वारा जब्त किए जाने के बाद उक्त कृत्यों का गैर-निष्पादन इस बात का संकेत है कि उन्होंने धारा 132 की उप-धारा (1) के तहत गहने, आभूषण आदि जब्त नहीं किए। श्री डी. एन. अवस्थी द्वारा लिखित बयान में यह बताया गया था कि अधिकृत अधिकारियों ने धारा 132 की उप-धारा (3) के तहत तलाशी के दौरान मिले आभूषण, आभूषण, जी. सी. नोट और सिक्कों को इस कारण संलग्न किया कि उन्होंने 6 जून, 1974 को श्री ओम प्रकाश जिंदल द्वारा दिए गए बयान के सत्यापन की आवश्यकता महसूस की कि अनुलग्नक डी-3 के 17 आभूषण बजरंग लाल के थे और अनुलग्नक डी-4 के 5 आभूषण चुनी लाल के थे और उन्होंने उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके साथ रखा था। अधिकृत अधिकारियों द्वारा धारा 132 (3) के तहत श्री ओम प्रकाश जिंदल और श्री पृथ्वी राज जिंदल को तलाशी में पाए गए आभूषणों, आभूषणों आदि को हटाने या उनसे अलग होने या उनसे निपटने से रोकने के आदेश भी पारित किए गए थे और उन्हें क्रमशः 6 जून, 1974 और 12 जुलाई, 1974 को दिए गए थे। आभूषणों को दो डिब्बों में रखने और फिर 6 जून, 1974 को गोदरेज अलमीरा में और दूसरे अवसर पर 12 जुलाई, 1974 को लकड़ी की अलमीरा में मुहर लगाने में अधिकृत अधिकारियों

के कार्य धारा 132 की उप-धारा (3) के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा कवर किए गए प्रतीत होते हैं, अर्थात्, "ऐसा अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है जो इस उप-धारा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।" इस प्रकार, मामले की पूरी परिस्थितियों और श्री बी. एस. गुप्ता द्वारा कही गई सभी बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरी राय है कि अधिकृत अधिकारियों ने ऊपर बताए गए तरीके से आभूषणों आदि को एक ईमानदार, हालांकि गलत, इस विश्वास के तहत सील करने के लिए आगे बढ़े थे कि धारा 132 की उप-धारा (4) के तहत 6 जून, 1974 को श्री ओम प्रकाश जिंदल द्वारा दिए गए बयान के सत्यापन तक इसे जब्त करना वांछनीय नहीं था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 132 (3) के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब अधिकृत अधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि विशेष आभूषण आदि हैं। तलाशी में पाई जाने वाली संपत्ति अघोषित संपत्ति है, लेकिन उक्त आभूषणों की प्रकृति या स्थान या किसी मामले में विशिष्ट स्थिति के कारण, उन्हें जब्त करना अव्यवहारिक है। लिखित स्थिति में लिए गए रुख और बहस के समय भी सामने रखे गए रुख के अनुसार, अधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि नाम आदि। तलाशी में पाई गई संपत्ति अघोषित थी और वे इस तरह के निष्कर्ष पर आने से पहले 6 जून, 1974 को श्री ओम प्रकाश जिंदल द्वारा दिए गए बयान को सत्यापित करना चाहते थे। उस स्थिति में, जब अधिकृत अधिकारी 6 जून, 1974 या 12 जुलाई, 1974 को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि उक्त आभूषण अघोषित संपत्ति थे, तो आभूषणों को सील करने के उनके कार्य आदि। उक्त तारीखों में से किसी पर भी धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। साथ ही, प्राधिकृत अधिकारियों के उपरोक्त कृत्यों को धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन "जब्ती" के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि यह विश्वास करने के कारण थे कि आभूषण आदि अघोषित संपत्ति थे। इसलिए, जब मामले की परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 132 की उप-धारा (1) के तहत गहने, आभूषण आदि की जब्ती हुई थी, तो नियमों के नियम 112-ए के तहत 15 दिनों का कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सका और न ही अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत कोई जांच शुरू की जा सकी। इस प्रकार, 6 जून, 1974 या 12 जुलाई, 1974 के बाद 90 दिनों के भीतर ऐसी सूचना जारी करने या आयकर अधिकारी द्वारा आदेश दर्ज करने में विफलता का कोई परिणाम नहीं हो सकता है, जो आभूषणों, सर्राफा आदि के प्रतिधारण को अवैध नहीं बनाता है। इसलिए, इस मामले में, उपरोक्त पैरा 5 की संख्या (2) में उल्लिखित श्री गुप्ता का प्रस्तुतिकरण विफल हो जाता है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

(11) प्राधिकरण के वारंट ने अधिकृत अधिकारियों को जिंदल हाउस में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार दिया। मान लीजिए, श्री पृथ्वी राज जिंदल याचिकाकर्ता द्वारा कब्जा किए गए परिसर का हिस्सा जिंदल हाउस का एक हिस्सा है। इसलिए, अधिकृत अधिकारियों द्वारा परिसर के उक्त हिस्से की तलाशी, इस तथ्य के बावजूद कि यह याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्री पृथ्वी राज जिंदल के कब्जे में था, किसी भी तरह से अवैध नहीं माना जा सकता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, पैराग्राफ 5 की संख्या (4) में उल्लिखित श्री बी. एस. गुप्ता का तर्क आधारहीन है और अस्वीकार कर दिया गया है। अतः, प्राधिकृत अधिकारियों के उपर्युक्त कार्य, जिनमें से अधिकांश पूंजी श्री बी. एस. गुप्ता द्वारा की गई थी, धारा 132 की उपधारा (1) के अनुसार आभूषणों, आभूषणों आदि की जब्ती के समान नहीं हो सकते।

(12) उपर्युक्त पैरा 10 के अधीन चर्चा के अनुसार, 6 जून, 1974 को बक्से में आभूषणों आदि को सील करने और पहले गोदरेज अलमीरा में और दूसरी बार 12 जुलाई, 1974 को लकड़ी की अलमीरा में डालने और

उसी को सील करने में प्राधिकृत अधिकारियों के कार्य धारा 132 की उपधारा (3) के दायरे में नहीं आते हैं। श्री अवस्थी ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया और तर्क दिया कि चूंकि वे 6 जून, 1974 को दिए गए श्री ओमी प्रकाश जिंदल के बयान को सत्यापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आभूषणों आदि को सील करना उचित और वांछनीय समझा। ऊपर बताए गए तरीके में, और भगवानदास नारायणदास बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद, और अन्य, आयकर निरीक्षण निदेशक (जांच) नई दिल्ली, और एक अन्य बनाम पूरन मॉल एंड संस और एक अन्य, और श्रीमती कंवल शमश एंड आर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य को उनके विचार का समर्थन करने के लिए उद्धृत किया, मुझे नहीं लगता कि उक्त निर्णय में से कोई भी उनके लिए किसी भी मदद का हो सकता है। भगवानदास के मामले में (उपर्युक्त) खोज 10 जुलाई, 1969 को आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि भगवानदास नारायणदास के मित्रों और शुभचिंतकों ने हंगामा किया था और स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया था। घटनास्थल पर अचानक और खतरनाक घटना के कारण अधिकृत अधिकारी तलाशी पूरी नहीं कर सके। इस मामले में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि भगवानदास के मामले में, गहने 11 जुलाई, 1969 को धारा 132 की उप-धारा (3) के तहत कुर्क किए गए थे, इसलिए नहीं कि अधिकृत अधिकारियों को गहने अघोषित संपत्ति होने के बारे में संदेह था, बल्कि इसलिए कि मौके पर खतरनाक स्थिति विकसित होने के कारण 10 जुलाई, 1969 को उन्हें जब्त नहीं किया जा सका, जिससे तलाशी जारी नहीं रह सकी। पूरन मॉल के मामले (ऊपर) में चांदी की छड़ें उनके कब्जे में नहीं थीं, बल्कि दो बैकसी और गहने आदि के साथ थीं। श्रीमती कंवल शमशेर सिंह का मामला दिल्ली सेफ डिपॉजिट कंपनी के दो लॉकरों में था और मौके पर न तो श्रीमती कंवल शमशेर सिंह या उनकी बेटी श्रीमती माला सिंह के कब्जे में थे। बहरहाल, यह प्रश्न कि क्या पूरन मॉल के मामले (ऊपर) में चांदी की छड़ें या श्रीमती कंवल शमशेर सिंह के मामले (ऊपर) में आभूषणों की कुर्की धारा 132 की उप-धारा (3) के तहत वैध थी, इस पर न तो विशेष रूप से विचार किया गया और न ही निर्णय लिया गया। अतः श्री अवस्थी द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय उत्तरदाताओं को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं। तथापि, श्री बी. एस. गुप्ता के इस तर्क की पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि अधिकृत अधिकारियों ने 6 जून, 1974 को या 12 जुलाई, 1974 को अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन आभूषणों को कुर्क करने में किसी बाह्य या गैरकानूनी रूप से कार्य किया था। इसलिए, उस हद तक उनका तर्क इस बात के गुण-दोष से रहित है कि न तो अभिलेख की सामग्री या मामले की परिस्थितियों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है, और इसे खारिज कर दिया जाता है।

(13) ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकृत अधिकारियों ने 6 जून, 1974 और 12 जुलाई, 1974 को धारा 132 की उप-धारा (3) के तहत आभूषण वगैरह कुर्क करने के लिए यह मानते हुए आगे बढ़े कि इसे 6 जून, 1974 को दर्ज श्री ओम प्रकाश जिंदल याचिकाकर्ता के बयान के सत्यापन के बिना अघोषित संपत्ति या अन्यथा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, मेरा विचार है कि 6 जून, 1974 या 12 जुलाई, 1974 को हाथ में मामले में गहने आदि को कुर्क करने में अधिकृत अधिकारियों के कार्य निर्णय की त्रुटि में किए गए थे, हालांकि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि उन्हें धारा 132 की उप-धारा (3) के प्रावधानों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

(14) उपर्युक्त पैरा 8 में की गई चर्चा के अनुसार, धारा 132 की उपधारा (3) में आने वाले "व्यवहार्य" शब्द का विस्तार, मेरी राय में, ऐसे मामले में नहीं किया जा सकता है जहां अधिकृत अधिकारी को तलाशी पर आभूषण आदि मिलने पर संदेह है या वह निश्चित नहीं है कि यह विश्वास करने के कारण हैं कि वे अघोषित संपत्ति थे। यह तभी होता है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे आभूषण अघोषित संपत्ति हैं, लेकिन उनकी प्रकृति या स्थान के कारण या किसी अन्य आधार पर उनकी जब्ती अव्यावहारिक है, जिससे उक्त

आभूषण आदि की जब्ती हो जाती है। यह असंभव या असुरक्षित है कि अधिकृत अधिकारी धारा 132 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों का सहारा ले सकता है। हाथ में मामले में, उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख यह रहा है कि उन्होंने गहने आदि जब्त नहीं किए। तलाशी में पाया गया और धारा 132 की उप-धारा (3) के तहत उसे संलग्न करने का विकल्प चुना, क्योंकि वे 6 जून, 1974 को दर्ज श्री ओम प्रकाश जिंदल के बयान के सत्यापन के बिना यह तय नहीं कर सके कि क्या वे अघोषित संपत्ति हैं। इसका मतलब है कि 6 जून, 1974 और 12 जुलाई, 1974 को भी अधिकृत अधिकारियों ने यह विश्वास करने में अनिच्छा महसूस की कि उपरोक्त आभूषण आदि अघोषित संपत्ति थे। जब उनका यही विचार था, तो मेरी राय में, ऊपर पहले से दर्ज कारणों से, वे उन आभूषणों आदि को कानूनी रूप से संलग्न नहीं कर सकते थे। धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन। यह ध्यान देने योग्य है कि श्री ओम प्रकाश जिंदल ने 6 जून, 1974 को दर्ज अपने बयान में खुलासा किया था कि अनुलग्नक डी-1 के 32 आभूषण उनकी पत्नी के थे और अनुलग्नक डी-11 के 4 आभूषण उनके बेटे और बहू के थे, और यह अनुलग्नक डी-111 के केवल 17 आभूषण थे जो बजरंग लाई के थे और 5 आभूषण, जीसी नोट और अनुलग्नक डी-114 के चांदी के सिक्के थे जो चुनी लाई के थे। बजरंग लाई और चुनी लाई की जाँच से ओम प्रकाश जिंदल के उपरोक्त कथन का सत्यापन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि क्या अनुलग्नक डी-111 के आभूषणों की 17 वस्तुएँ बजरंग लाई की थीं और 5 आभूषण, जी. सी. नोट और अनुलग्नक डी-114 के चांदी के सिक्के चुनी लाई की संपत्ति थे। उनकी जाँच से अनुलग्नक डी-एल के 32 आभूषणों या अनुलग्नक डी-11 के 4 आभूषणों के संबंध में अधिकृत अधिकारियों को कोई सहायता नहीं मिल सकती थी। श्री ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी श्रीमती सावित्री देवी और उनकी बहू श्रीमती सचिता देवी 6 जून, 1974 को परिसर में मौजूद थीं, जब उनकी तलाशी ली गई और उनके द्वारा पहने गए आभूषणों के संबंध में सूची (अनुलग्नक बी-11) तैयार की गई थी। इसलिए, उनसे अनुलग्नक डी-1 के 32 आभूषणों और अनुलग्नक डी-11 के 4 आभूषणों के संबंध में श्री ओम प्रकाश जिंदल के बयान का सत्यापन प्राप्त किया जा सकता है। श्री पृथ्वी राज जिंदल 12 जुलाई, 1974 को परिसर में उपस्थित थे और उस दिन श्री ओम, प्रकाश जिंदल के उपरोक्त बयान का सत्यापन उनसे प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए, इस बात का कोई आधार नहीं है कि अधिकृत अधिकारियों को बजरंग लाई और चुनी लाई से पूछताछ करने की कोई आवश्यकता थी क्योंकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह विश्वास करने के कारण थे कि अनुलग्नक डी-एल के 32 आभूषण या अनुलग्नक डी-11 के 4 आभूषण अघोषित संपत्ति थे। इसके अलावा, अधिनियम या नियमों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अधिकृत अधिकारी तलाशी पर पाई गई संपत्ति को अपनी मुहर के नीचे रख सकता है और धारा 132 की उप-धारा (3) का सहारा लेकर उसे अनिश्चित काल के लिए रख सकता है। वह धारा 132 की उपधारा (3) के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क कर सकता है, यदि उसमें निहित प्रावधानों द्वारा इसकी अनुमति दी गई है और उसे उचित अवधि के लिए रख सकता है। जब नियमों के नियम 112-क के उपबंध आयकर अधिकारी से 15 दिनों के भीतर अपेक्षित सूचना जारी करने की अपेक्षा करते हैं और धारा 132 की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंध आयकर अधिकारी से आभूषणों आदि की जब्ती की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवश्यक आदेश अभिलिखित करने की अपेक्षा करते हैं। यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि उक्त उचित अवधि जिसके दौरान आभूषण आदि थे। इसे रखा जा सकता है, सामान्य रूप से उसी की कुर्की की तारीख से 90 दिनों से अधिक नहीं होगा। आभूषणों आदि की संलग्नक। धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन अनिवार्य रूप से एक नागरिक को उसी के उपयोग से वंचित कर देगा जो वह चाहता है और इस प्रकार यह उक्त आभूषणों के स्वतंत्र उपयोग के लिए उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अतः यह वांछनीय है कि प्राधिकृत अधिकारी किसी न किसी रूप में मामले का विनिश्चय करे और धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा की गई कुर्की को जल्द से जल्द समाप्त कर दे। हाथ के मामले में, गहने आदि। 6 जून, 1974 को संलग्न किए गए थे। 3 दिसंबर, 1974 तक,

जब वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी, लगभग छह महीने तक इसे जब्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, इन परिस्थितियों में, अनुलग्नक डी-I, डी-II, डी-III और डी-IV के आभूषणों आदि के अधिकृत अधिकारियों द्वारा कथित रूप से की गई कुर्की को जारी रखना, विशेष रूप से जब मेरा विचार है कि इसे धारा 132 की उप-धारा (3) के प्रावधानों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, अनुमेय नहीं होगा। यह निर्विवाद है कि यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपचार को ढाल सकता है क्योंकि यह किसी विशेष मामले के तथ्यों के अनुकूल है। इसलिए, जब यह पाया गया है कि ऊपर निर्दिष्ट आभूषणों आदि की कुर्की को धारा 132 की उप-धारा (3) के प्रावधानों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, और निर्णय की त्रुटि में अधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही उसे जब्त करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की शक्तियों को, यदि उनके पास उस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए सामग्री है, तो छीन नहीं लिया जा सकता है।

(15) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, मैं निर्देश देता हूँ कि अधिकृत अधिकारी लकड़ी की अलमारी और उसमें निहित बक्से की मुहरों और ताले को हटा देंगे और आज से 10 दिनों के भीतर श्री ओम प्रकाश जिंदल याचिकाकर्ता को अनुलग्नक डी-I, डी-II, डी-III और डी-IV के गहने, आभूषण आदि बहाल कर देंगे। यदि विधि द्वारा ऐसी सलाह दी जाती है तो वे सामग्री एकत्र कर सकते हैं और उसके आधार पर तथा उनके द्वारा पहले से एकत्रित सामग्री के आधार पर उक्त 10 दिनों के भीतर निर्णय ले सकते हैं कि क्या उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त चार अनुलग्नकों के आभूषण, आभूषण आदि अघोषित संपत्ति हैं। यदि वे ऐसा पाते हैं, तो वे कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह स्पष्टता के लिए जोड़ा गया है कि यदि अधिकृत अधिकारी धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iii) के तहत उपरोक्त आभूषणों को 10 दिनों के भीतर जब्त कर लेते हैं, तो धारा 132 की उप-धारा (5) के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऊपर बताए गए आभूषणों को बहाल करने का निर्देश समाप्त हो जाएगा। इसलिए, रिट याचिका को केवल ऊपर उल्लिखित सीमा तक ही अनुमति दी जाती है, लेकिन मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में आंशिक अपनी लागत वहन करेगा।

एच एस बी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा

